न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :– 21 / 2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025 / 31

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
रायचन्द पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी खटटू तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा 2.भोमाराम पुत्र मूलाराम 3.तगूदेवी पत्नि मूलाराम जाति जाट निवासी घतरवालो की ढाणी,खटटू तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. श्री पुनमाराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री जालमसिंह अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1 व 2
3. प्रतिवादी संख्या 03 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 25/6/2025

1.संक्षिप्त में आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम खटटू तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 142, 143, 743 / 40, 745 / 204,749 / 551,750 / 551,938 / 143 व 939 / 143 कुल क्षेत्रफल 21.9097 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। विवादित आराजी में प्रार्थी का अशुद्व नाम रामचन्द पुत्र मूलाराम दर्ज हो रखा है,जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम रायचन्द पुत्र मूलाराम है। विवादित आराजी में अशुद्व नाम की प्रविष्टि होने के कारण प्रार्थी को किसी प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है,जिसके कारण प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। अंत प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी में दायर अशुद्व प्रविष्टि रामचन्द्र पुत्र मूलाराम के स्थान पर रायचन्द पुत्र मूलाराम दुरुस्त करवानें हेतु वाद–पत्र पेश किया गया है।

2.प्रार्थी का आवेदन–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया। विप्रार्थी के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री जालमसिंह द्वारा विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया तथा साथ ही विप्रार्थी संख्या 02 की तरफ से

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

इकबाली जवाब पेश किया गया। विप्रार्थी संख्या 01 की ओर से जवाब पेश नहीं किए जाने पर जवाब बन्द किया गया। विप्रार्थी संख्या 03 की ओर से जवाब पेश किया गया तथा वक्त बहस विप्रार्थी संख्या 03 अनुपस्थित रहे।

3.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम खटटू तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 142, 143, 743/40, 745/204, 749/551, 750/551,938/143 व 939/143 कुल क्षेत्रफल 21.9097 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। प्रार्थी के पिता मूलाराम का देहान्त होने पर फौतदगी नामान्तकरण मे प्रार्थी का सही नाम रायचन्द अंकित किया गया था तथा उक्त नामान्तकरण प्रविष्टि के अनुसार ही जमाबंदी मे इन्द्राज किया जाना चाहिए था,लेकिन तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा रायचन्द के स्थान पर रामचन्द्र गलत नाम प्रविष्टि इन्द्राज कर दी गई। जो एक एरर एपिरेन्ट ऑन द फेस ऑफ रेकर्ड है,जो कि एक लिपिकीय त्रुटिवंश दर्ज किया गया है,जबकि अन्य सरकारी दस्तावेजात में प्रार्थी का वास्तविक नाम रायचन्द्र दर्ज है,लेकिन विवादित आराजी में प्रार्थी का अशुद्व नाम इन्द्राज होने के कारण प्रार्थी को किसी प्रकार की सरकारी योजनाओं का परिलाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी में प्रार्थी का अशद्व नाम रामचन्द्र के स्थान पर रायचन्द दुरूस्त किए जाने के आदेश किए जावें।

4.विप्रार्थी संख्या 1 व 2 अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 02 सगे भाई है। विवादित आराजी इनकी संयुक्त खातेदारी में अवस्थित है। प्रार्थी का वास्तविक नाम रायचन्द है,लेकिन रिकॉर्ड में अशुद्व नाम दर्ज हो रखा है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी में अशुद्व प्रविष्टि रामचन्द्र के स्थान पर रायचन्द दुरूस्त की जाती है,तो विप्रार्थी को आपति नहीं है।

5.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम खटटू तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 142, 143, 743/40, 745/204, 749/551, 750/551,938/143 व 939/143 कुल क्षेत्रफल 21.9097 हैक्टयर भूमि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की सहखातेदारी में अवस्थित है,जिसमें प्रार्थी का नाम रामचन्द्र दर्ज है,जो कि प्रार्थी द्वारा अशुद्व होना बताया है। जबकि प्रार्थी के पिता मूलाराम के फौत पर फौतदगी वारिसान नामान्तकरण संख्या 528 भरा गया,जिसमें प्रार्थी का नाम रायचन्द दर्ज किया गया था,जो नामान्तकरण की छायाप्रति अवलोकन से स्पष्ट है,लेकिन जमाबंदी मे अंकन करते समय रायचन्द्र के स्थान पर रामचन्द्र दर्ज कर दिया गया,जो कि लिपिकीय त्रुटि से रिकॉर्ड मे इन्द्राज हुआ है,जो प्रार्थी नाम शुद्व करवाने का हकदार है। विप्रार्थी संख्या 02 जो कि प्रार्थी का सगा भाई है,ने अपने इकबाली जवाब मे स्वीकार किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम रायचन्द्र है। प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किए जाने पर सहमति प्रदान की गई है। विप्रार्थी संख्या 03 ने भी

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

अपने जवाब मे प्रार्थी का वास्तविक नाम रायचन्द्र होना स्वीकार किया है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि प्रार्थी का विवादित आराजी में अशुद्ध नाम इन्द्राज हो रखा है,जो कि प्रार्थी की ओर से अपने दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो से साबित भी किया है। इस प्रकार प्रार्थी अपना आवेदन–पत्र दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने में बखूबी सफल रहा है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार योग्य है।

6.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थी विवादित भूमि में अपना अशुद्ध नाम दुरूस्त करवानें का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

–:निर्णय:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–खटटू तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 142, 143, 743/40, 745/204, 749/551, 750/551,938/143 व 939/143 कुल क्षेत्रफल 21.9097 हैक्टयर भूमि के राजस्व रेकर्ड (जमाबंदी) में प्रार्थी के नाम की अशुद्ध प्रविष्टि रामचन्द पुत्र मूलाराम के स्थान पर सही नाम रायचन्द पुत्र मुलाराम दुरूस्त किए जाने के आदेश दिए जातें है,शेष बदूस्तर रहेंगा। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है,कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(अशोक कुमार)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 25/6/25 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा
25/06/2025